न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा नं0 राजस्व प्रकरण 274 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. मालाराम गोदपुत्र जगनाराम
2. केगोदेवी पत्नी जगनाराम
3. वोताराम पुत्र उकाराम
4. मगाराम पुत्र उकाराम
5. देवा पुत्र अन्ना जातियान कलबी निवासीयान टापरा तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मांगीदेवी पत्नी मांगाराम
2. प्रवीणसिंह पुत्र भैरूसिंह
3. विनोदसिंह पुत्र भैरूसिंह
4. भगवतसिंह पुत्र डूंगरसिंह
5. मनोहरसिंह पुत्र डूंगरसिंह सभी जातियान राजपूत
6. दौलाराम पुत्र हराराम
7. जुजाराम पुत्र हराराम
8. नाथाराम पुत्र हराराम
9. हरचंदराम पुत्र शंकरराम
10. वालाराम पुत्र शंकरराम
11. खेताराम पुत्र शंकरराम
12. नेमाराम पुत्र शंकरराम
13. पोकर पुत्र मिसरा
14. खीमा पुत्र मिसरा
15. थानाराम पुत्र बाबूराम
16. रावताराम पुत्र बाबूराम
17. विसुडी बेवा बाबूराम
18. चन्द्रा पुत्री बाबूराम (नाबालिग वली माता विसुडी)
19. बदामी पुत्री बाबुराम सभी जातियान भील (नाबालिग वली माता विसुडी बेवा बाबूराम)
20. नेमाराम पुत्र भगवानाराम
21. तेजाराम पुत्र मोडाराम
22. हेमाराम पुत्र नथाराम
23. चतराराम पुत्र नथाराम
24. लुम्बाराम पुत्र नथाराम
25. वगताराम पुत्र पेमाराम
26. जेरूपाराम पुत्र पेमाराम
27. कोकुदेवी पत्नी पेमाराम
28. नरसींगराम पुत्र अन्नाराम
29. देमाराम पुत्र मोडाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:05 IST
Reason: SelfAttested

31.3.2023

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30. गुमनाराम पुत्र मोडाराम
31. मुलाराम पुत्र मोडाराम सभी जातियान कलबी
32. राणसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत के वारिसान
 32/1 मांगूकंवर पत्नी राणसिंह
 32/2. लादूसिंह पुत्र राणसिंह
 32/3 जीवराजसिंह पुत्र राणसिंह
33.विजयसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
34. जसवंतसिंह पुत्र शेरसिंह
35. झुंझारसिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत सभी निवासीयान टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

03. श्री जुझाराम पटेल , प्रार्थीगण अधिवक्ता

04. विप्रार्थी संख्या 1 से 35 एक पक्षीय

'आदेश दिनांक :- 31.3.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा पनोतरी नाडी, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 120 रकबा 27.17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1317/120 रकबा 0.15 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 35 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 35 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:05 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौजा पनोतरी नाडी, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 120 रकबा 27.17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1317/120 रकबा 0.15 बीघा अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा

(हस्ताक्षर) 31.3.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 39 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 35 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में

तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा पनोतरी नाडी, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 120 रकबा 27.17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1317/120 रकबा 0.15 बीघा किस्म गैर मुमकीन अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा मुमकिन मौजा पनोतरी नाडी, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 120 रकबा 27.17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1317/120 रकबा 0.15 बीघा मे अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2077–2080 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 35 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 25/06/2021 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुमकिन मौजा पनोतरी नाडी, पटवार क्षेत्र टापरा, भू अभिलेख क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 120 रकबा 27.17 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1317/120 रकबा 0.15 बीघा अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिष्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 35 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवष्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:05 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 31.03.2023 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

व्यास
31.3.2023
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा